औ०ए०डी०एम/856/15
23/6/15

(22)

सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रीय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी महोदय/
संयुक्त सचिव व नियन्त्रक प्रकाशन
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग,
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली -54

557
22/6

विषय : **प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है, इससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी यह प्रथम अपीलीय प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर रहा है।**

यह कि प्रार्थी ने केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी महोदय/संयुक्त सचिव नियन्त्रक एवं प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सिविल लाइन्स दिल्ली से दिनांक 29-04-2015 को लिखित रूप से सूचना मांगी गयी थी, जिसके उत्तर में प्रार्थी को दिनांक 27 मई, 2015 को पत्रांक सं0 ओ0एण्ड0एम0/20006/2015 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (ए0के0सिंह)द्वारा क्रम सं0 1 के संदर्भ में बताया गया है कि विभाग में वांछित (हिन्दी वर्जन) उपलब्ध नहीं है। जबकि प्रार्थी का प्रश्न (आशय) था कि 1956 में हिन्दी वर्जन छपा था या नहीं, इस प्रकार प्रार्थी के प्रश्न का स्पष्ट जबाव न देकर आधी अधूरी सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

अत: आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी की अपील को स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना का जबाव स्पष्ट रूप से दिलाया जाये कि निम्नांकित **अधिनियम 25 सितम्बर 1956 का हिन्दी वर्जन प्रकाशित हुआ था या नहीं?**

प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना निम्न प्रकार है -

1. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 25 सितम्बर 1956 को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं0 -63) दिनांक 25 सितम्बर 1956 के नाम से हिन्दी वर्जन प्रकाशित किया गया हैं या नहीं ?

यदि हिन्दी वर्जन प्रकाशित किया गया है तो प्रार्थी को उक्त अधिनियम की एक प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाये और यदि उक्त अधिनियम का हिन्दी वर्जन प्रकाशित नहीं हुआ है तो, क्यों नहीं हुआ है? उसका कारण बताया जाये।

[signature]

2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की सूची के क्रम सं0 27 पर धंगड़ जाति के स्थान पर गड़रिया जाति के लोगों को धनगर के नाम से अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र दिये जा रहे है, क्या वह कानूनन है या गैर कानूनन है? अवगत कराये।

नियमानुसार 10 रूपये के पोस्टल आर्डर नं0 64सी 722309 एवं 64सी 272310 इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये है। फोटो प्रति का जो भी व्यय होगा प्रार्थी देने को तैयार है।

दिनांक : 18/6/2015

प्रार्थी

रविन्द्र कुमार

(रविन्द्र कुमार पुत्र दिवंगत श्रद्धेय लज्जाराम)

निवासी डॉ0 अम्बेडकर नगर

माता वाली गली, टेडी बगिया,

पो0 यमुना ब्रिज, जिला आगरा (उ0प्र0)

पिनकोड –282006

मो0 : 9897329333

संलग्नक –

1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 29-04-2015 को मांगी गयी सूचना प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति।
2. प्रार्थी को आधी अधूरी सूचना पत्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी पत्र सं0 ओ0एण्ड0एम0 20006/2015 दि0 27 मई 2015 के पत्र की फोटो प्रति।

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/संयुक्त सचिव महोदय
नियंत्रण एवं प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
सिविल लाइन्स, दिल्ली

विषयः— <u>जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत माँगी जा रही निम्नांकित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र।</u>

1. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के सन्दर्भ में भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 25 सितम्बर 1956 को, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–63) दिनांक 25 सितम्बर 1956 के नाम से हिन्दी वर्जन जारी किया गया है या नहीं?
   यदि हिन्दी वर्जन जारी किया गया है तो, प्रार्थी को उक्त अधिनियम की एक प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये और यदि उक्त अधिनियम का हिन्दी वर्जन जारी नहीं हुआ है तो, क्यों नहीं हुआ है? उसका कारण बताया जाये।
2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की सूची के क्रम संख्या–27 पर धंगड़ जाति के स्थान पर गडरिया जाति के लोगों को धनगर के नाम से अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र दिये जा रहे हैं, क्या वह कानूनन हैं या गैर कानूनन है? अवगत करायें।

नियमानुसार रू.10/— के पोस्टल आर्डर नं. 64C 722309 एवं 64C 722310 इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। फोटोप्रति का जो भी व्यय होगा प्रार्थी देने को तैयार है।
दिनांक 29.5.2015

प्रार्थी

SP SANJAY PLACE
CIVIL LINES, PIN:110054
From:RAVINDRA KR , AGRA
Wt:2grams.

(हस्ताक्षर)
(रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री लज्जाराम)
निवासी–डा. अम्बेडकर नगर
माता वाली गली, टेढ़ी बगिया
पोस्ट–यमुना ब्रज, जिला–आगरा (उ.प्र.)
पिन–282006
मो. 9897329333

<u>नोटः</u> उ.प्र. सरकार द्वारा गडरिया जाति (पिछड़ा वर्ग) के लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र धंगड़ के स्थान पर धनगर के नाम से जारी किये जा रहे हैं की फोटोप्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

(हस्ताक्षर)

By Speed post

भारत सरकार

प्रकाशन विभाग

शहरी विकास मंत्रालय

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Website: **www.deptpub.gov.in**

Email: **acop-dep@nic.in** (&) **pub.dep@nic.in**

TEL.: 2381 7823 /2381 9689 Fax: 2381 7846.

सं: ओ. एण्ड एम./20006/2015 दिनांक: 27 मई. 2015

सेवा मे,

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री लज्जाराम,

माता वाली गली, टेड़ी बगिया,

पोस्ट- यमुना ब्रज, जिला- आगरा,

उत्तर प्रदेश - 282 006

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,

आपके पत्र जो इस विभाग में दिनांक 06.05.2015 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में मांगी गयी सूचना निम्नलिखित है।

1. क्रम सं॰ 1 मे वर्णित वांछित प्रकाशन इस बिभाग मे उपलब्ध नहीं है।

2. मांगी गयी सूचना इस बिभाग से संबन्धित नहीं है।

फिर भी यदि कोई भारत का राजपत्र या अन्य कोई अधिनियम (Act) इस बिभाग से क्रय करना चाहते हैं तो उस प्रकाशन की पूर्ण जानकारी दें।

यदि आप उपरोक्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं है तो **प्रथम अपिलिय प्राधिकारी** संयुक्त सचिव व नियंत्रक प्रकाशन को अपील कर सकते है ।

भवदीय,

(ए॰ के॰ सिंह)

केंद्रिय लोक सूचना अधिकारी

भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
Website: www.deptpub.gov.in
Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in
TEL.: 2381 7823 /2381 9689 Fax: 2381 7846.

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं: ओ. एण्ड एम./18506/2015

दिनांक: 06 अगस्त, 2015

सेवा मे,
श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री लज्जाराम,
माता वाली गली, टेड़ी बगिया,
पोस्ट- यमुना ब्रज, जिला- आगरा,
उत्तर प्रदेश - 282 006

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,

आपका पत्र, जो इस विभाग में दिनांक 23.06.2015 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वर्तमान समय मे इस विभाग मे कोई प्रथम अपिलिय प्राधिकारी/ नियंत्रक प्रकाशन मौजूद नहीं है क्योंकि पूर्ववत प्रकाशन नियंत्रक के दिनांक 31.05.2015 मे सेवा मुक्ति के उपरांत नये प्रकाशन नियंत्रक ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है अत : आपके द्वारा अपील मे मांगी गयी जानकारी निम्नलिखित है -

1. प्रकाशन बिभाग केवल मंत्रालयों की पुस्तकों का रखरखाव करता है और पुस्तकों की बिक्री करता है। सभी अधिनियम कानून मंत्रालय से संबन्धित होते हैं और कानून मंत्रालय ही उसका प्रकाशन हमारे पास छपवाकर भेजता है।

कानून मंत्रालय द्वारा इस बिभाग मे अभी तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956 दिनांक 25 सितम्बर 1956 का हिन्दी वर्जन छपवाकर नहीं भेजा गया है। हिन्दी वर्जन छपने की बात का निवारण केवल कानून मंत्रालय द्वारा ही किया जा सकता है।

2. मांगी गयी सूचना इस बिभाग से बिलकुल भी संबन्धित नहीं है।

भवदीय,

(लूसी ज्योति बेक)
केंद्रिय लोक सूचना अधिकारी

6/8/15